रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 531] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 1978/अग्रहायण 10, 1900
No.531] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1978/AGRAHAYANA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 1 दिसम्बर, 1978

का. आ. 694(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग ।

[डीबीओडी संख्या 158/आईएनसीएल/सी 102-78]

के. एस. कृष्णास्वामी, उप-गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, the 1st December, 1978

S.O. 694(E).—In pursuance of clause (a) of Sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Bank, namely :—

Krishna Grameena Bank, Gulbarga.

[DBOD No. 158/JNCL/C. 102-78]

R. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978